ज्ञापन

सेवा में,

मा0 मुख्यमंत्री महोदय,
उ0प्र0 सरकार।
द्वारा उपजिलाधिकारी .....

विषयः– उ0प्र0 लेखपाल संघ की लम्बित मांगों को शीघ्र पूर्ण किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0 लेखपाल संघ एक अनुशासित संगठन है। लेखपाल संवर्ग की ज्वलन्त समस्याओं को पत्राचार एवं वार्ता के माध्यम से अनुशासित रूप में शासन के समक्ष उठाता रहा है। मा0 राजस्व परिषद द्वारा लेखपाल संवर्ग की उपयोगिता के दृष्टिगत उसकी जायज मांगें यथा वेतन उच्चीकरण, ए0सी0पी0 विसंगति, पेंशन विसंगति, लेखपाल सेवा नियमावली में संशोधन एवं भत्तों में वृद्धि आदि के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को भेजे गये हैं। शासन द्वारा शासनादेश निर्गत न होने के कारण मजबूरीवश अगस्त–सितम्बर 2016 में लेखपाल संवर्ग को आन्दोलन करना पड़ा। **21 सितम्बर 2016 को मा0 मुख्य सचिव, मा0 प्रमुख सचिव आदि सर्वोच्च अधिकारियों की उपस्थिति में मा0 मुख्यमंत्री जी के साथ उ0प्र0 लेखपाल संघ के प्रतिनिधिमण्डल की वार्ता में लेखपाल संवर्ग के छः सूत्रीय मांगपत्र पर सहमति बनी और शीघ्र समाधान के निर्देश निर्गत किए गये। मा0 मुख्यमंत्री जी की सहमति एवं आश्वासन पर उ0प्र0 लेखपाल संघ द्वारा आन्दोलन स्थगित किया गया किन्तु सरकार/शासन द्वारा वादाखिलाफी की गयी। माह मार्च 2017 में नयी सरकार के गठन के बाद 11 अप्रैल 2017 को उ0प्र0 लेखपाल संघ प्रतिनिधिमण्डल द्वारा मा0 महोदय से भेंट कर उक्त समस्याओं से अवगत कराया गया जिस पर महोदय द्वारा शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया, किन्तु वेतन, भत्ते एवं विसंगतियों और लेखपाल सेवा नियमावली में संशोधन आदि मांगों पर कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। अक्टूबर 2017 पुनः सांकेतिक आन्दोलन किया गया जो 31 अक्टूबर 2017 को मा0 अध्यक्ष राजस्व परिषद के आश्वासन पर स्थगित किया गया किन्तु शासन से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुये। फरवरी 2018 में मा0 महोदय के गोरखपुर भ्रमण के दौरान भी मा0 महोदय को लेखपाल संवर्ग की मांगों/समस्याओं की स्थिति से अवगत कराया गया, किन्तु शासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद 06 मई व 11 जून 2018 को दो–दो बार नोटिस देने के बावजूद शासन मॉगों के प्रति उदासीन है।** लेखपाल संवर्ग की लम्बित मांगें एवं समस्याएं निम्नवत हैंः–

1. **वेतन उच्चीकरणः**–राजस्व विभाग में लेखपाल एक महत्वपूर्ण पद है, जिसके अपने पदीय दायित्व बहुत अधिक है तथा अपने विभागीय कार्यों के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन, समाज कल्याण, विकास, शिक्षा, सांख्यिकी आदि लगभग 50 विभागों के कार्य संचालन में लेखपाल का महत्वपूर्ण सहयोग लिया जाता है। कार्य की प्रकृति, कार्य के घंटे एवं अन्य विभागों के कार्य सम्पादन के कारण ही लेखपाल पद विशिष्ट श्रेणी का माना गया है। अतः उत्तराखण्ड राज्य के समान लेखपाल पद का पदनाम राजस्व उपनिरीक्षक, शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा प्रारम्भिक ग्रेड पे 2800 किया जाना आवश्यक है। मा0 राजस्व परिषद व शासन द्वारा उक्त के पक्ष में तर्कपूर्ण प्रबल संस्तुति वेतन आयोग को प्रेषित की गयी थी। अतः मा0 महोदय से निवेदन है कि लेखपाल संवर्ग का वेतन उच्चीकरण का लाभ प्रदान करने की कृपा करें।

Scanned by CamScanner

2. **वेतन विसंगतिः–** वर्ष 2006 में छठे वेतन आयोग के लागू होने से लेखपाल संवर्ग में गम्भीर वेतन विसंगति उत्पन्न हो गयी है। जिससे एक ही संवर्ग में सेवा करने वाले कुछ लोगों को 16 वर्ष की सेवा के बाद द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में 4200 रूपये ग्रेड पे जबकि 1994 के बाद नियुक्त लगभग 2500 लोगों को 16 वर्ष की ही समान सेवा पर 2800 रूपये ग्रेड पे दिया जा रहा है। एक ही संवर्ग में समान कार्य व समान सेवा अवधि पर असमान वेतन दिया जाना गम्भीर वेतन विसंगति है। इस विसंगति को दूर करने के लिए मा0 परिषद द्वारा दी गयी संस्तुति शासन में लम्बित हैं। अतः मा0 महोदय से निवेदन है कि लेखपाल संवर्ग में व्याप्त वेतन विसंगति को दूर करने की कृपा करें।

3. **पेंशन विसंगतिः–** महोदय, लेखपाल संवर्ग में वर्ष 2001 व 2003 में चयनित व 2003–04 में प्रशिक्षित लेखपालों की नियुक्ति विभिन्न प्रशासनिक कारणों से हुए विलम्ब के कारण 01 अप्रैल 2005 के बाद हुई है जबकि इनका प्रशिक्षण भी 01 अप्रैल 2005 से पूर्व ही पूर्ण हो चुका था। इस सम्बन्ध में मा0 राजस्व परिषद द्वारा 24.08.16 व 13.11.17 को इन लेखपालों की पुरानी पेंशन बहाली के सम्बन्ध में संस्तुति सहित पत्र शासन को प्रेषित किया गया है। जिस पर मा0 महोदय से निवेदन है कि वर्ष 2001 व 2003 में चयनित लेखपालों को पुरानी पेंशन का लाभ प्रदान करने की कृपा करें।

4. **भत्तों में वृद्धिः–** मा0 राजस्व परिषद, शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ–साथ अपने स्तर से भी जनहित/किसान हित में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का कियान्वयन जिलाधिकारियों के माध्यम से लेखपालों द्वारा कराया जाता है। मा0 राजस्व परिषद को लेखपाल के दायित्वों एवं कार्यभार में हुई वृद्धि के कारण व्यय में हुई वृद्धि का भली–भॉति ज्ञान है, जिसके दृष्टिगत मा0 अध्यक्ष राजस्व परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 31 अक्टूबर 2017 को बोर्ड की बैठक में लेखपाल संवर्ग के विशेष वेतन भत्ता, पेट्रोल भत्ता व स्टेशनरी भत्ता में वृद्धि किए जाने का औचित्य पाते हुए एक प्रस्ताव अपने पत्र संख्या 6236/4–39ए–85टीसी दिनांक 06 दिसम्बर 2017 शासन में अनुभाग–9 को भेजा गया है। अतः विशेष वेतन भत्ता 1500 रूपये, नियत यात्रा भत्ता के स्थान पर पेट्रोल/ मोटरसाइकिल भत्ता 2000 रूपये तथा स्टेशनरी भत्ता 750 रूपये प्रतिमाह किए जाने का शासनादेश निर्गत कराने की कृपा करें।

5. **राजस्व परिषद द्वारा प्रस्तावित "राजस्व उपनिरीक्षक सेवा नियमावली 2017" को कैबिनेट से पारित कराना :–** राजस्व लेखपाल के बहुआयामी कर्तव्य, महत्व, उपयोगिता एवं शासन के अद्यतन निर्णयों के दृष्टिगत मा0 राजस्व परिषद द्वारा लेखपाल सेवा नियमावली 2006 में पदनाम, शैक्षिक योग्यता, भर्ती के श्रोत, भर्ती की प्रक्रिया, स्थानान्तरण आदि संशोधनों को समाहित करते हुए "राजस्व उपनिरीक्षक सेवा नियमावली 2017" प्रस्तावित की गयी है। अतः महोदय से निवेदन है कि नियमावली संशोधन की समस्त औपचारिकताएं पूरी कराते हुए कैबिनेट से पारित कराने की कृपा करें।

6. **लैपटाप व स्मार्टफोनः–** ई0 डिस्ट्रिक, ई गवर्नेन्स एवं डिजिटल इण्डिया को कियान्वित कराने के लिए खतौनी, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, नक्शा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आदि समस्त कार्य कम्प्यूटरीकृत एवं आनलाईन कर दिए गये हैं। जिसके लिए उ0प्र0 शासन द्वारा लेखपालों को लैपटाप उपलब्ध कराने एवं भारत सरकार द्वारा स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जा चुका है। जिसके लिए बजट 2 वर्ष से पड़ा है किन्तु खरीदारी न होने के कारण आज तक लेखपालों को लैपटाप व स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं कराए गये हैं। लेखपाल 4–5 वर्षों से अपने निजी व्यय से उक्त कार्यों का सम्पादन कर रहे है, जो कि अब अधिक दिनों तक किया जाना सम्भव नहीं है। अतः महोदय से निवेदन है कि लैपटाप व स्मार्टफोन तत्काल उपलब्ध कराने की कृपा करें।

7. **प्रोन्नति–(1)**–राजस्व निरीक्षक पदोन्नति में संग्रह अमीन व भूमि अध्याप्ति अमीन का कोटा समाप्त किया जाए और 25 प्रतिशत पद लेखपालों की विभागीय परीक्षा द्वारा भरे जाएं। संग्रह अमीन व भूमि अध्याप्ति अमीन की पदोन्नति हेतु उनके विभाग में ही पर्यवेक्षक पद सृजित किए जाएं।
(2) जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण एवं सुदृढ़ व सक्षम क्षेत्रीय पर्यवेक्षण के दृष्टिगत 1:5 के अनुपात में राजस्व निरीक्षक के अतिरिक्त पद सृजित करने सम्बन्धी मा0 परिषद के प्रस्ताव पर मा0 प्रमुख सचिव राजस्व एवं मा0 राजस्वमंत्री की सैद्धान्तिक सहमति के अनुरूप राजस्व निरीक्षक क्षेत्रीय के अतिरिक्त पद सृजित किए जाएं।

Scanned by CamScanner

(3) शासन द्वारा पूर्व में लिए गये निर्णय के कम में मा0 राजस्व परिषद द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के अनुसार राजस्व निरीक्षक कार्यालय के 626 अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाए और अधिष्ठान कार्य हेतु राजस्व निरीक्षक कार्यालय का एक पद प्रति तहसील के अनुसार अतिरिक्त पद भी सृजित कराया जाए।

(4)राजस्व अभिलेखागार में राजस्व अभिलेखों (खतौनी, बन्दोबस्ती अभिलेख, शजरा, राजस्व पत्रावलियां आदि) के रखरखाव एवं पर्यवेक्षण हेतु सृजित पद आर0.आर0.के0 को लिपिक/मिनिस्ट्रियल संवर्ग के स्थान पर भूलेख संवर्ग से राजस्व निरीक्षकों द्वारा भरा जाए।

(5)नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जाए और राजस्व वादों के समय बद्ध एवं गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण के लिए तहसीलदार, उपजिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी की भॉति नायब तहसीलदार न्यायिक के पदों का भी सृजन किया जाए।

8. **आधारभूत सुविधायें एवं संसाधनः–** महोदय, लेखपालों को अपने साथ अपने हल्के से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के अभिलेख यथा खसरा, खतौनी, शजरा, सी0एच0 41 व 45, शिकायती प्रार्थना पत्रों के साथ–साथ राजस्व संहिता 2006 के अनुसार अनेक प्रकार के रजिस्टर, आम आदमी बीमा योजना से सम्बन्धित प्रपत्र, इत्यादि रखने पड़ते हैं जिनका वजन लगभग 15–20 किलो तक होता है इसके साथ ही अनेक लेखपालों को एक हल्के के साथ साथ अतिरिक्त हल्के का कार्य भी करना पड़ता है जिससे वजन और भी अधिक हो जाता है। चूँकि लेखपाल आम जन से सीधे जुड़ा होता है तथा समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते है ऐसे में अभिलेखों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण हो जाती है जबकि लेखपाल के पास उसके कार्य स्थल पर कार्य करने के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था यथा भवन, फर्नीचर, शौचालय, कार्यालय, आवास इत्यादि उपलब्ध नहीं होता है। उपरोक्त के अतिरिक्त अवैध अतिक्रमण को हटवाने के लिए ट्रैक्टर, जे0सी0बी0, मजदूर की व्यवस्था लेखपाल अपने निज वेतन से करता है। पुलिस का समय पर पर्याप्त सहयोग भी नहीं मिलता है जिसके लिए राजस्व पुलिस के गठन की आवश्यकता है। अतः महोदय से निवेदन है कि लेखपालों को उपरोक्त आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की कृपा करें।

महोदय 27 अक्टूबर 2014 को मा0 मुख्य सचिव महोदय के लिखित आश्वासन के बाद भी आज तक न तो भत्तों में वृद्धि की गयी है और न ही लैपटाप उपलब्ध कराया गया है। दिनांक 21 सितम्बर 2016 को मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा वेतन उच्चीकरण, ए0सी0पी0 विसंगति, पेंशन विसंगति और लेखपाल सेवा नियमावली संशोधन आदि के सम्बन्ध में लिखित एवं मीडिया के सामने किया गया वादा भी पूरा नहीं हुआ। 11 अप्रैल 2017 एवं फरवरी 2018 में आपके आश्वासन के बाद भी शासन द्वारा लेखपाल संवर्ग की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। 06 मई व 11 जून 2018 के नोटिस व 19 जून के सांकेतिक आन्दोलन एवं प्रेषित ज्ञापन के बाद भी राजस्व उपनिरीक्षक सेवा नियमावली 2017 तथा अन्य मांगों से सम्बन्धित पत्रावली बिना किसी प्रगति के जहॉ की तहॉ लम्बित हैं। अतः आज दिनांक 03 जुलाई 2018 से सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार करने को विवश है। शासनादेश निर्गत न होने तक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आन्दोलन चलेगा।

अतः मा0 महोदय से निवेदन है कि आगामी कैबिनेट बैठक में मा0 राजस्व परिषद द्वारा प्रस्तावित, शासन में लम्बित "राजस्व उपनिरीक्षक सेवा नियमावली 2017" कैबिनेट से पारित कराने के साथ ही अन्य मांगों के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत करने की कृपा करें।

तहसील अध्यक्ष
तहसील.....
जनपद.....

तहसील मंत्री
तहसील.....
जनपद.....

Scanned by CamScanner